

राष्ट्रीय सहारा

राष्ट्रीयता ■ कर्तव्य ■ समर्पण



■ नई दिल्ली ■ लखनऊ ■ गोरखपुर ■ पटना
■ कानपुर ■ देहरादून ■ वाराणसी से प्रकाशित

नई दिल्ली

मंगलवार • 10 जनवरी • 2017

18 पृष्ठ, मूल्य ₹ 3.50

स्कूलों ने शुरू किया आवेदन फार्म बांटना

■ सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली।

डीडीए भूमि पर बने
स्कूलों में नर्सरी दाखिला

राजधानी के सरकारी (डीडीए) जमीन पर बने नए सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में नर्सरी दाखिले सोमवार से शुरू हो गए। अभिभावकों को आठ दिनों तक इंतजार के बाद के स्कूलों से फॉर्म मिलना शुरू हो गया। उभर स्वयंसेवा के मुद्दे को लेकर नए सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों की एकात्मक कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एकात्मक कमेटी के अध्यक्ष एस्के भट्टाचार्य ने कहा कि पहले कोर्ट ने क्राइटेरिया बनाने के अधिकार दे चुका।

कहा है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीन पर बने 298 पब्लिक स्कूलों में दाखिले को रोक दिया था। इन स्कूलों में अलग से नेबरहुड क्राइटेरिया वाली माइडलाइंस जारी की गई है। शनिवार को यह माइडलाइंस शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी कर दी गई थीं जिसके मुताबिक स्कूल उपकूल प्रभाव से दाखिला प्रक्रिया शुरू कर सकते

हैं। लिहाजा सोमवार से स्कूलों ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सोमवार को पीठमपुरा-स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में फॉर्म के बारे में पूछने के लिए कई कॉल्स आए। स्कूल ने सुबह दस बजे से फॉर्म देना शुरू कर दिए। स्कूल की प्रधानाचार्य अंकिता शर्मा ने बताया कि हमने नर्सरी दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्कूल में पहले दिन कुल 150 अभिभावकों ने फॉर्म खरीदे। फॉर्म की कीमत 25 रुपए है। वसुधा एनक्लेव स्थित एमएम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य रुमा पाठक ने बताया कि हमने भी स्कूल में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल में पहले दिन 55 से 60 फॉर्म अभिभावकों को दिए गए। रोहिणी स्थित माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति अरोड़ा ने बताया कि पहले दिन कुल 300 अभिभावक ने आवेदन फॉर्म लिए हैं।

नेबरहुड, मैनेजमेंट कोटा के विरोध में कोर्ट गई कमेटी
अभिभावकों को मिलने लगे स्कूलों में फार्म

दाखिले की फर्स्ट लिस्ट 28 फरवरी को



सोमवार को एक स्कूल में आवेदन फार्म लेने पहुंचे अभिभावक। फोटो: एनएसबी

सोमवार को एक स्कूल में आवेदन फार्म लेने पहुंचे अभिभावक। फोटो: एनएसबी

28 फरवरी को फाईट्स के साथ आवेदन करने वाले के नाम घोषित करने होंगे। इसके बाद 28 फरवरी व पहली दाखिला सूची जारी करनी होगी। यदि इस लिस्ट को लेकर अभिभावकों को कोई आपत्ति है तो व 1 से 4 मार्च तक कर सकते हैं। स्कूलों को सीटें खाली होने पर 15 मार्च को दूसरी दाखिला सूची जारी कर-होगी। इसके अलावा 31 मार्च दाखिला प्रक्रिया खत्म करने की आखिरी तिथि होगी। ■एनएसबी

नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी दाखिला को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है। सरकारी जमीन वाले स्कूलों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि इन स्कूलों में दाखिले के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी होगी। निजी जमीन वाले स्कूलों की अंतिम तिथि 21 जनवरी है। स्कूलों को आवेदन करने वालों के नाम 10 फरवरी को घोषित करने होंगे। 21 फरवरी को फाईट्स के साथ आवेदन करने वाले के नाम घोषित करने होंगे। इसके बाद 28 फरवरी व पहली दाखिला सूची जारी करनी होगी। यदि इस लिस्ट को लेकर अभिभावकों को कोई आपत्ति है तो व 1 से 4 मार्च तक कर सकते हैं। स्कूलों को सीटें खाली होने पर 15 मार्च को दूसरी दाखिला सूची जारी कर-होगी। इसके अलावा 31 मार्च दाखिला प्रक्रिया खत्म करने की आखिरी तिथि होगी। ■एनएसबी